राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या – 11/2020

तारीख दायरा – 09/07/2020

प्रार्थी :–

1 चम्पालाल पुत्र घीसाजी जाति–माली निवासी–डायलानाखुर्द तहसील देसूरी जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार देसूरी
2 उमाशंकर पुत्र चिमना
3 कान्ता पुत्री भेरा के स्वर्गवास होने से उनके वारिसान–
3/1. वर्षा पत्नि गोविन्द जाति–बोहरा निवासी गांथी तह. देसूरी
3/2. तरूणा पत्नि अरूण जाति–जांगीड ब्राहम्ण नि0 भाटून्द तह. बाली
4. काना पुत्र भूरा
5. खेतु पुत्री चमना
6. गणेशराम पुत्र चतरा
7. गलबी पुत्री भेरा
8. गीता पुत्री रामा
9. जेठा पुत्री खीमा
10. जेठाराम पुत्र चतरा
11 जसोदाबाई पत्नी पूनाराम
12 जीवाराम पुत्र चतरा जाति–ब्राहम्ण नि0 डायलानाकलां तह. देसूरी
13 मृतक देवा पुत्र मनरूप (म्यूटेशन दर्ज नही)
13/1 जेठी देवी पत्नि देवा (म्यूटेशन दर्ज नही)
13/2 अजीत कुमार पुत्र देवा (म्यूटेशन दर्ज नही)
13/3 चेला पुत्र देवा (म्यूटेशन दर्ज [illegible]
13/4 मजुला पुत्री देवा ([illegible]
13/5 हुलासी पुत्री देवा ([illegible]
13/[illegible] [illegible]मला पुत्री देवा जाति–ब्राहम्ण नि0 डायल[illegible]कला तह. देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

14 अप्रार्थी संख्या 4 मृतक देवी पत्नी मोहनलाल के वारिसान व कायम मुकाम होने से विधिक वारिसान है।

14/1 सोहनलाल दत्तक पुत्र मोहनलाल

15 नारायणलाल पुत्र चतरा जाति–ब्राहम्ण नि0 डायलानाखुर्द तह. देसूरी

16. परबुडा पुत्र मना के वारीसान व कायम मुकाम

16/1. जमनो पुत्री परबुडा

16/2. प्रकाश पुत्र परबुडा

16/3. मुकेश पुत्र परबुडा

16/4. बबीता पुत्री परबुडा जाति–ब्राहम्ण नि0 गांथी तह0 देसूरी

17. प्रभुराम पुत्र रामा

18. पीरा पुत्र भुरा

19. पोनी पुत्री रामा

20. फुटरमल पुत्र पूनाराम

21. फाउ पत्नी चमना

22. भैरूराम पुत्र चमना

23. भीकीबाई पत्नि चमना

24. मथरा पुत्री रामा

25. मांगीलाल पुत्र कसा

26. मागीलाल पुत्र पुना

27. मोनिका पुत्री चमना

28. रणछोड लाल पुत्र चिमना

29. रमीला पुत्री चिमना

30 लुबा पुत्र विरदा

31. लुंबा पुत्र मनरूप जाति–ब्राहम्ण नि0 डायलानाखुर्द तह0 देसूरी

32. मृतक वेनाराम पुत्र माहराम के वारिसान व कायम मुकाम

32/1. मोरकी पत्नि वेना

32/2. भंवरी पुत्री वेना

32/3 लीला पुत्री वेना

32/4. बगदी पुत्री वेना

32/5. कमली पुत्री वेना जाति–देवासी नि0 डायलानाखुर्द तह0 देसूरी

33 वेनाराम पुत्र चतरा

34 हजा पुत्री रामा जाति–ब्राहम्ण नि0 डायलानाखुर्द तह0 देसूरी

35 मृतक हजारीराम पुत्र रामा के वारीसान व कायम मुकाम

35/1 गणपतलाल पुत्र हजारीराम

35/2 सोहनलाल पुत्र हजारीराम

35/3 नारायणलाल पुत्र हजारीराम

35/4 [illegible] बाई पुत्री हजारीराम

35/5 [illegible] पुत्री हजारीराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

35/6 गीता पुत्री हजारीराम
35/7 मीरा पुत्री हजारीराम जातिगण–ब्राहम्ण नि0 डायलानाखुर्द तह0 देसूरी

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश कुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री दिलीप व्यास अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 3/1, 3/2, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 30, 31 की ओर से
3. शेष अप्रार्थीगण संख्या 5, 7, 8, 10, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 16/4, 18, 24, 26, 28, 29, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 16/3, 20, 23, 25, 27, 32/5, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7 एक पक्षीय कार्यवाही

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट : –

दिनाक 27/4/2022

– : आदेश : –

1. प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम डायलाना खुर्द तहसील देसूरी में अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 378/693 में अपने परिवार पत्नी सहित निवास कर रहा है। प्रार्थी मुख्य मार्ग से अपने बेरे पर खसरा नम्बर 377 व 376 के बीच में पडत जमीन से पिछले 40 वर्षो से रास्ते का उपयोग करते आ रहा है मौके पर आने जाने की पगडण्डी भी बनी हुई है। प्रार्थी की कृषि भूमि मे प्रवेश हेतु कोई दूसरा रास्ता नही है।
2. दिनाक 10.11.2020 को अप्रार्थी जेठाराम पुत्र खीमा जाति ब्राम्हण व उसका पुत्र सोनाराम ने प्रार्थी के उक्त करीबी रास्ते खसरा नम्बर 377 को अवरूद्ध कर दिया जो गलत है।
3. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा सरहद ग्राम डायलाना खुर्द तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 378/693 रकबा 0.8000 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल विद्यमान है पटवार हल्का डायलाना कलां की सरहद में अप्रार्थी संख्या 2 लगाय तमाम की खातेदारी भूमि आराजी ख0नं0 377 रकबा 0.92 हेक्टर स्थित है जिसमें से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता का उपयोग करता रहा है उक्त बद किये गये रास्ते को प्रार्थी संलग्न नक्शा मार्क A,B,C,D अनुसार रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि मे आने जाने हेतु नही है। रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है।

4. प्रार्थी अपनी आराजी ख0नं0 378/693 मे आने जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाडी, ट्रोली, हल, बैल ले जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 2 व तमाम की आराजीयात ख0नं0 377 ग्राम डायलाना खुर्द मे आने जाने हेतु व कृषि कार्य हेतु रास्ते का उपयोग करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा पेश नक्शा मार्क ए0बी0सी0डी0 को रास्ते हेतु सुविधा जनक स्थान से होकर करीब 15 फीट चौडा रास्ता आगामी विद्यमान था जिसके आगे कांटो की बाड व खाईया खोदकर रूकावट की गई है। प्रार्थी द्वारा पेश नक्शा A,B,C,D के रास्ते हेतु कृषि कार्य व पशुधन को आने जाने के उपयोग में लिया जायेगा। प्रार्थी सद्भावना से यह रास्ता अप्रार्थीगण संख्या-2 लगाय तमाम की आराजीयात ख0नं0 377 ग्राम डायलाना खुर्द की सरहद मेसे रास्ते की मांग की है व रास्ता कायम काराना चाहता है। प्रार्थी निर्धारित मुआवजा अदा करने हेतु तैयार है।

5. प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के साथ मौके का राजस्व नक्शा, प्रार्थी एव अप्रार्थीगण के खातेदारी की जमाबंदी की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 378/693 में आने-जाने व उपयोग हेतु नियमानुसार मुआवजा (शुल्क) निर्धारित कर 15 फीट चौडा रास्ता पेश नक्शा मार्क A,B,C,D को रास्ते हेतु स्थित सडक से जुडने तक प्रदत्त किया जाने का आदेश प्रदान करावे व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जावे।

प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी किया गया एवं तहसीलदार देसूरी को क्रमाक/कोर्ट/2020/121 दिनांक 21.08.2020 के प्रस्तावित रास्ते की मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

अप्रार्थी संख्या 3/1, 3/2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16/1, 16/2, 17, 19, 21, 22, 30, 31 की ओर से सामुहिक रूप से जबाव प्रस्तुत कर जबाव विशेष कथन कर जाहिर किया कि प्रार्थी [illegible] के प्रार्थना-पत्र में प्रस्तुत कथनानुसार प्रार्थी मुख्य मार्ग से अपने बेरे पर खसरा नम्बर 377 [illegible] के बीच मे पडत जमीन से पिछले 40 वर्षो से रास्ते का उपयो[illegible] आने जाने की पगडण्डी भी बनी हुई है एव जेठाराम पु[illegible]राम पुत्र जेठाराम ने उक्त प्रार्थी के करीबी रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी [illegible]ना किसी अवरोध के मौके पर स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

रास्ते का उपयोग करते आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी को रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त होने का अभिवाक एव कथन कर रास्ता खुलवाना चाहता है।

यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष धारा 251 के तहत सिविल न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिये। धारा 251ए आर०टी०एक्ट० के तहत कोई वैकल्पिक रास्ता साधन नही होने पर ही एव उसे नये रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता होने पर ही नये रास्ते मे अधिकार हेतु आवेदन करने का प्रावधान है जबकि प्रार्थी स्वयं को कथनानुसार उसी खातेदारी में आने-जाने का 40 वर्षो से करीबी रास्ता है एवं प्रार्थी के तथ्यो से स्परटतया साबित है कि प्रार्थी की भूमि ख०नं० 378/693 में आने-जाने का वैकल्पिक रास्ता साधन है एव प्रार्थी को नये रास्ते अत्याधिक आवश्यकता नही है। कदीमी रास्ता होने से धारा 251ए आर०टी०एक्ट० के प्रावधानों के तहत नही आता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा 251ए कानूनन मेन्टेनेबल नही होने से स्वीकार योग्य नही होकर काबिल खारिज के है। जिसे खारिज फरमाया जावें।

उपरोक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र का पैरा सख्या 5 मे वर्णित तमाम तथ्य प्रार्थी गलत है। प्रार्थी अपनी आराजी खसरा नम्बर 378/693 ग्राम डायलाना खुर्द की सरहद मे जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 लगाय तमाम की आराजी ख०नं० 377 स्थित है जिसमें से होकर कभी कोई रास्ता नही रहा जिसमे प्रार्थी का यह कथन मिथ्या है कि कदीम से लेकर वर्तमान तक प्रार्थी बिना किसी अवरोध के मौके पर स्थित रास्ता का उपयोग करता आ रहा है। तमाम तथ्य प्रार्थी गलत है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना-पत्र में वर्णित अप्रार्थीगण सख्या 13, 14, 16, 32 व 35 की मृत्यु हो चुकी है जिसकी सूचना नोटिस जारी होने पर सवार की रिपोर्ट से प्राप्त हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश-22 नियम 4 सी०पी०सी० एवं प्रार्थना-पत्र आदेश 01 नियम 10 सी०पी०सी० पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का जवाब अप्रार्थीगण के कायम मुकाम द्वारा प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र गल[illegible] विरूद्ध है। आदेश 22 नियम 4 सी०पी०सी मे दौराने वाद [illegible] अन्दर म्याद 90 दिन मे आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर मृतक के वा[illegible]न को रिकोर्ड पर लेने का प्रावधान है जबकि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र मे वर्णित मृत अप्रार्थीगण की मृत्यु मूल प्रार्थना-पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) सेसूरी (पाली)

प्रस्तुत करने के काफी समय पूर्व हो चुकी है। आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के तहत इनके वारिसान को रिकोर्ड पर कानूनन नही लिया जा सकता है एव अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र कानूनन अबेट योग्य है। प्रार्थना–पत्र मयाद बाहर होने से प्रार्थना–पत्र अस्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से धारा 151 सी0पी0सी0 प्राथमिक विधिक आपत्तिया प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थना–पत्र मृत व्यक्तिओं का पक्षकार बनाया जाकर प्रस्तुत किया है जो कानूनन मेन्टेनेबल नही होकर काबिज खारिज के है जो कि प्रार्थी के कथनानुसार पिछले 40 वर्षो से कदीमी रास्ता होने के तथ्यों के आधार पर सुधाधिकार के आधार पर भी कानूनन 251ए के तहत नये रास्ता के अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते। प्रार्थी की भूमि मे आने जाने का रास्ता वैकल्पिक रास्ता है जिससे प्रार्थी को धारा 251ए के तहत सक्षम अधिकारी के समक्ष या सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये। उपरोक्त तथ्यों के तहत प्रार्थी मृत पक्षकारों के विधिन वारिसान को पक्षकार कानूनी रूप से संयोजित नही करे प्रार्थना–पत्र 251ए आर0टी0एक्ट0 कानूनन प्राथमिक स्तर पर खारिज करने योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 एवं प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र 151 सी0पी0सी0 पर अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण को सुना जाकर अप्रार्थीगण की प्राथमिक आपत्तिया मेन्टेनेवल नही होने से खारिज की जाती है एव कायम मुकाम वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया जिसका संशोधिक शीर्षक पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 2, 5, 7, 10, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 16/4, 18, 24, 26, 28, 29, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7 की तामीली जरिये समाचार पत्र के जारी की गई जिनको विधि सम्मत आवाजे लगवाई गई। जो बावजूद सूचना एवं तामीली के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 00/3/2021 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्र क्रमांक/राजस्व/2017/28 दिनांक 6.8 2020 एवं क्रमांक/राजस्व/2019/12 दिनांक 11.9.2020 के जरिये पटवारी हल्का डायलाना कला से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द मय रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1 खसरा नम्बर 378/693 रकबा 0.80 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल वर्तमान जमाबंदी के चम्पालाल पुत्र धीसा [illegible] के नाम दर्ज है।

2 खसरान नम्बर 378/693 के रास्ता [illegible] है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है।

3 प्रार्थी पूर्व में खसरा [illegible] हेक्टर किस्म चा दो जाव दोयम से आवागमन करते थे। जो वर्तमान में उक्त [illegible]सरा के खातेदार द्वारा बद कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) [illegible] (पाली)

4. रास्ते की माग की गई खसरा नम्बर 377 रकबा 0.92 हेक्टर वर्तमान जमाबंदी मे उमाशंकर पुत्र चिमना, गणेशराम पुत्र चतरा जेठाराम पुत्र चतरा कौम ब्राम्हण वगैराह के नाम दर्ज है।
5. खसरा नम्बरा 378/693 के खातेदारों को अपने खेत मे आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।
6. रास्ते बाबत खसरा नम्बर 378/693 के खातेदार सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर राहत प्राप्त कर सकते है।
7. प्रस्तावित रास्ता के लिये खसरा नम्बर 377 रकबा 0.92 हेक्टर किस्म चा दो जा दोयम मेसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने पर खसरा नम्बर 377 मेसे 0.04 हेक्टर (80X5) मीटर रकबा प्रभावित होगा।
8. रास्ते के लिये प्रस्तावित भूमि की दर डी0एल0सी0 2,76,660/- रूपये प्रति हेक्टर है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री मुकेश श्रीमाली ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी अपनी आराजी ख0नं0 378/693 मे जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 377 मेसे कदीम से लेकर वर्तमान तक मौके पर स्थित रास्ते का उपभोग करते आ रहा है जिसे वर्तमान मे अप्रार्थीगण द्वारा बद कर दिया तहसीलदार द्वारा रास्ता खुलवाया गया प्रार्थी द्वारा ख0नं0 377 मेसे 15 फीट (चौडा) रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनाक 6.8.2020 से भी वैकल्पिक रास्ता का अभावसिद्ध है। प्रार्थी को रास्ता दिलाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या के वारिसान 3/1, 3/2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के वारियान 15, 17, 20, 21, 22 30, 31 के अधिवक्ता श्री दिलीप व्यास ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत प्रार्थना-पत्र पेश किया है। 251ए की परिभाषा मे नही आता है। 251 की परिभाषा मे आता है। प्रार्थी ने मृत व्यक्तियों के खिलाफ प्रार्थना-पत्र पेश किया है। जो अबेट होकर मेन्टेनेबल नही है। धारा 251ए आर0टी0एक्ट मे स्पष्ट प्रावधान है कि अत्याधिक आवश्यकता होने पर ही यह प्रार्थना-पत्र [illegible] है न कि जोत कि सुविधाजनक उपभोग के लिये नही कर सकता है। अपनी [illegible] समर्थन मे निम्न ciatation पेश किया RRT 2017 ([illegible] राजस्थान अजमेर सुविधाजनक रास्ते की आड मे नया रास्ता create नही किया जा सकता। प्रार्थीगण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 107, 116 सी0आर0पी0सी0 एव आई0पी0सी0 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

447/34, 427/34 के तहत सोहनलाल बनाम सरकार मुकदमा दर्ज हुआ है।
मौका रिपोर्ट केवल पटवारी हल्का द्वारा पेश है। अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नही है।
251ए आर0टी0एक्ट के तहत रास्ते की मौका जाच रिपोर्ट तहसीलदार स्वय या
भू-अभिलेख निरीक्षक की नीचे का पदाधिकारी रिपोर्ट पेश करने हेतु सक्षम नही
है। इस सबंध में राजस्व मण्डल का निम्न ciatation पेश किया है। RRT-
2016(1) पेज 1281 जोगाराम बनाम भूरीदेवी जिसके तहत प्रार्थना-पत्र 251ए
आर0टी0एक्ट खारिज किया जाए।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी रिबेटल बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि उसमें
पुलिस मे दर्ज मामला झूठा पाया गया।अप्रार्थीगणो द्वारा बाडबदी की जिसको
तहसीलदार के द्वारा हटाया गया। पटवारी रिपोर्ट संलग्न है। रूलिग जो पेश की
वह इस पर लागू नही होती। यदि अत्यावश्यक हो तो 251ए मे प्रार्थना-पत्र
स्वीकार होने योग्य है। रास्ता सुविधाजनक मार्ग के लिये नही चाहा, अत्याधिक
आवश्यकता है। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाए। प्रार्थी द्वारा ग्राम डायलाना खुर्द
तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 378/693 रकबा 0.80 हेक्टर कृषि भूमि मे
आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 377 रकबा 0.92
हेक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम मेसे प्रस्तुत नक्शा मे मार्क A,B,C,D से
आगे सडक तक 15 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। पत्रावली मे उभयपक्ष के
अधिवक्तागण की बहस सुनी गई पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच मय नजरी
नक्शा तहसीलदार की रिपोर्ट मय सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं उपरोक्त
विवेचन से प्रकरण में यह पाया गया कि प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे ख0न0
377 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मेसे अपनी भूमि 378/693 मे जाने हेतु
कदीमी रास्ते का उपयोग करना बताया है। पटवारी हल्का व मौका जाच रिपोर्ट
व तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख0न0 378/693 रकबा 0.80 हैक्टर मे आने जाने
हेतु कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है तथा न ही मौके पर उपलब्ध है।
प्रस्तावित रास्ते के लिये ख0न0 377 रकबा 0.92 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो मेसे
15 फिट चौडा रास्ता की मांग अनुसार 0.04 हेक्टर (80X5) मीटर रास्ता प्रभावित
होगा।

अत : प्रस्तुत संलग्न नक्शे मे दर्शित मार्क A,B,C,D को सडक से
जुडने तक ख0न0 377 मेसे रास्ता प्रार्थी की भूमि ख0न0 378/693 रकबा 0.80
हेक्टर मे आने जाने हेतु रास्ता दिया [illegible] है। इस हेतु प्रार्थी द्वारा DLC
की वर्तमान दर 2904[illegible]0/-रूपये अर्थात
DLC दर की दुगुनी राशि का 2324[illegible]रूपये भुगतान अप्रार्थीगण को करना

सहायक कलक्टर
(एस डी ओ) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 251ए आर0टी0 एक्ट अत्याधिक आवश्यकता होने एव वैकल्पिक रास्ता नही होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रार्थी से 15 फीट चौडे रास्ते के परिपेक्ष्य मे DLC की वर्तमान दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की अनुदान राशि रूपये 23240/–प्रार्थी द्वारा जरिये डी0डी0 अथवा कैश अप्रार्थीगण उमाशकर पुत्र चिमना, गणेशराम पुत्र चतरा, सोहनलाल पुत्र जेठाराम कौम ब्राम्हण वगैराह डायलानाखुर्द को भुगतान करे। भुगतान करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि वर्तमान मे उक्त भूमि किस खातेदार के हिस्से की भूमि है जिस खातेदार के हिस्से की भूमि प्रभावित होती है उसे भुगतान किया जावे अथवा उनके खाते मे राशि जमा करावाया जाकर बाद रास्ते का राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद एव नक्शे मे तरमीम किया जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 27/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested